देवीसिंह बनाम सूरजमल

17/12/25

आज P.O सा. के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त / राजकार्य से दौरे / अवकाश / स्थानान्तरण कारण पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु उनके समक्ष दिनांक 11/2/26 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

दिनांक 11/2/26
जिला / राजस्व बार एसोसिएशन
अजमेर ने आज....
कारण से कार्य स्थगित रखा है। अतः पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही 22/4/26 के दिनांक को पेश हो।

22/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं.1 से 5 अनुपस्थित रहे हैं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मुहामी में प्रार्थना-पत्र के पैरा सं. 2 सारणी (अ, ब, स) में वर्णित आराजीयत प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1 से 3 की खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी 1 व 2 प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थी 3 का निहित है। उक्त आराजीयत का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। सभी खातेदार संयुक्त रूप से काबिज है। अप्रार्थी आये दिन प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करता है तथा बिना बंटवारा कराये मौके पर कच्चा-पक्का निर्माण कर रहा है। जिससे भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा करवाने हेतु वाद पेश किया है जो विचाराधीन है। वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया।

पत्रावली के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2070-73 के अनुसार प्रार्थना-पत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित आराजीयत प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1 से 3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।

देवीसिंह बनाम सूरजमल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	प्रार्थी उक्त आराजीयत का रिकॉर्ड खातेदार है, जिसको अपने हक हिस्से की भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा करवा कर अलग होल्डिंग कायम करवाने का कानूनी हक व अधिकार है। प्रार्थी के प्रा०पत्र का अप्रार्थी-गण ने नोटिस तामील होने के बावजूद कोई एतराज नहीं किया ना ही कोई उज्र न्यायालय में उपस्थित होकर उठाया है। बिना बंटवारा कराये संयुक्त खातेदारी भूमि पर कच्चा-पक्का निर्माण कर मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो सभी खातेदारो क्षति होना संभव है क्योंकि संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक व अधिकार होता है। न्यायहितार्थ यह प्रतीत है कि विवादित भूमि कोई भी पक्षकार परिवर्तन नहीं करें। अत: प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारो को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थना-पत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित सारणी (अ, ब, स) में वर्णित ग्राम मुखमी के खसरान की भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति वाद-पत्र के निर्णय तक बनायी रखी जावे। प्रार्थना-पत्र इस निर्णय का पार्ट रहेगा। पत्रावली में यह निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (मु.) अजमेर आज दिनांक .... को अभिभाषक/ राजस्व बार एसोसिएशन ने आज कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही की पालना में दिनाक .... को पेश हो। आदेशानुसार न्यायालय पेशकार (रीडर)	